न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0
अपील सं0 32/2021 रसद

किशन लाल सैनी पुत्र श्री किशोरी लाल सैनी निवासी ग्राम राजवास तहसील सिकराय जिला दौसा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत ब्राहमण बैराडा तहसील सिकराय जिला दौसा

..अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी दौसा निर्णय दिनांक 28.1.2021 बाबत निरस्ती प्राधिकार पत्र अपीलांट

उपस्थित—1. श्री चरण सिंह डोई, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 17.08.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 28.1.2021 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत ब्राहमण बैराडा तहसील सिकराय जिला दौसा का अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलांट बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से ग्राम पंचायत ब्राहमण बैराडा तहसील सिकराय के उपभोक्ताओं को निष्ठापूर्वक रसद सामग्री का वितरण करता आ रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री के ऑन लाइन वितरण बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये है। तत्पश्चात विभाग द्वारा संशोधित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायो मैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ0टी0पी0 आता है, जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत होने के कारण लेश मात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है एवं उक्त पोस मशीन द्वारा ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ताओं को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण रसद सामग्री का राशन कार्ड में इन्द्राज किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:50 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...2 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक नहीं है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा दिनांक 22.6.2020 को अपीलांट की दुकान की जांच की गई, जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा आदेश दिनांक 14.7.2020 द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया जाकर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट ने नोटिस का उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य दिनांक 30.7.2022 को प्रस्तुत कर दिया। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दोसा ने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब को उचित रूप से विचार किये बिना ही अपने आदेश दिनांक 28.1.2021 द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित विवादित आदेश विधि विरूद्ध है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑन लाइन वितरण बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये है। तत्पश्चात विभाग द्वारा संशोधित आदेश पारित किये गये हैं जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायो मैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ0टी0पी0 आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है, जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। किसी कारण से अगर पोस मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान न हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति जिसका नाम भामाशाह से जुडा हुआ हो, अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार की राशन सामग्री ले सकता है। अगर 3 बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो भामाशाह कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज से अपने आप एक ओ.टी.पी. आ जाता है। इस ओ.टी.पी. को मशीन में दर्ज करके भी राशन सामग्री ली जा सकती है। अगर परिवार में किसी का मोबाइल नहीं है तो ई— मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते है। इस प्रकिया का फायदा है कि राशन की दुकान पर राशन सामग्री आते ही मैसेज प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा राशन सामग्री लेने पर भी मेसेज प्राप्त हो जाता है कि आपने कितनी राशन सामग्री ली है और कितनी राशन सामग्री शेष है। राशन सामग्री मिलने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची मिल जाती है, जिसमें लेन देन व उपलब्ध शेष राशन सामग्री की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेश मात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ताओं को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण रसद सामग्री का राशन कार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। जिसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपने विवेक का [illegible] ही अपीलांट के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचे ही निरस्त कर दिया जो कि विधिसम्मत नहीं है। जिला रसद अधिकारी दौसा ने उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा दिनांक 22.6.2020 को प्रार्थी की राशन की दुकान की जांच की जाकर जांच रिपोर्ट जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 14.7.2020 के द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:50 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...3 पर

निलंबित कर दिया गया एवं अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब भी अपीलांट द्वारा तय समय में जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रस्तुत कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट के जवाब की सही विवेचना नहीं करके नोन स्पीकिंग आदेश दिनांक 28.1.2021 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को कठोर दण्ड देते हुए निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट को दिये गये कारण बताओ नोटिस में ज्यादातर आरोप तकनीकी प्रकृति के है जिनका जवाब अपीलांट ने दिनांक 30.7.2020 को ही दे दिया था। उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी दौसा के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रश्नगत आदेश में केवल मात्र कारण बताओ नोटिस एवं जवाब को समावेश किया गया है, कोई विस्तृत निष्कर्ष का हवाला उक्त आदेश में नहीं है । इस प्रकार उक्त आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के उपर रसद सामग्री का आरोप उपभोक्ताओं के मौखिक बयानों के आधार पर लगाया गया है जबकि ना तो किसी उपभोक्ता को साक्ष्य के लिए बुलाया गया और ना ही प्रार्थी को जिरह का अवसर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जांच रिपोर्ट/दस्तावेज/बयानात की प्रति उपलब्ध नही कराई गई। पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलांट पर रसद सामगी की कालाबाजारी या गबन का आरोप प्रमाणित होता हो। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश पारित कर कठोरतम दण्ड दिया गया है। अपीलांट का एकमात्र रोजगार उचित मूल्य की दुकान है जिस पर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व अपीलांट पर ही है। अपीलांट के उपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। चूंकि पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा था, जिस कारण अपीलांट के घर पर ही रहने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त करने की जानकारी नहीं थी। प्राधिकार पत्र निरस्ती की जानकारी दिनांक 24.11.2021 को होने पर जिला रसद कार्यालय दौसा से अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 9.12.2021 को प्राप्त हुई। यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो क्षमा योग्य है। जिसका धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र संलग्न है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बरवक्त बहस उपभोक्ताओं द्वारा ट्रांजेक्शन विवरण पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.1.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश प्रदान करावे।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि दिनांक 22.6.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा ग्राम पंचायत ब्राहमण बैराडा के उचित मूल्य दुकानदार श्री किशनलाल सैनी की दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई है

1. वक्त निरीक्षण दिनांक 22.6.2020 को दुकान बंद पाई गई। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार को दूरभाष पर संप[illegible] गई।
2. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान का प्राधिकार पत्र, दुकान का नक्शा, एनएफएसए ई सूची व यूनिट रजिस्टर तथा गेहूँ, चीनी व केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये।

निरंतर ...4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:50 IST
Reason: SelfAttested

3. मौके पर ही **SCM Login** से डीलर के मोबाइल पर ओटीपी भेजकर ऑनलाईन रिसीव नहीं किये गये गेहूँ की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि डीलर द्वारा माह जुलाई 2020 के पेटे कुल 4678.40 किलोग्राम गेहूं ऑन लाइन रिसीव नहीं किया जाना पाया गया। जबकि उक्त गेहूँ खाद्य निगम दौसा से एफ.सी.आई. द्वारा उचित मूल्य दुकान पर आपूर्ति किया जाना पाया गया। इस प्रकार पोस मशीन में दर्ज ऑनलाइन कुल गेहूँ तथा ऑनलाइन रिसीव नही किये गये कुल गेहूँ की कुला मात्रा 7104 किलोग्राम होती है जबकि मौके पर गेहूँ की कुल मात्रा 4900 किलोग्राम पाई गई। कम पाये गये 2204 किलोग्राम गेहूँ के बारे में डीलर द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।
4. वक्त जांच मौके पर 33 किलोग्राम चने की दाल ज्यादा पाई गई।
5. जांच के वक्त मौके पर 120 किलोग्राम चीनी की कम मात्रा पाई गई।
6. उपभोक्ताओं से पूछने पर कई राशन कार्डो (उपभोक्ता रघुवीर सिंह राजपूत, राधामोहन शर्मा, रामावतार शर्मा, कैलाश चंद शर्मा व राजकुमार सिंह राजपूत) पर फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाना पाया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 8.7.2020 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने आदेश दिनांक 14.7.2020 के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। उक्त अनियमितताओ बाबत जिला रसद अधिकारी दौसा ने उचित मूल्य दुकानदार को दिनांक 17.7.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 30.7.2020 को उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। डीलर द्वारा दिनांक 30.7.2020 को रसद कार्यालय में बिन्दुवार जवाब पेश किया गया। जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर संपूर्ण जमा प्रतिभूमि राशि जब्त सरकार करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस प्रकार श्री किशन लाल सैनी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत ब्रहमण बैराडा द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 11 व 17(ग) व 18 का स्पष्ट उल्लंधन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट किशन लाल सैनी, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत ब्राहमण बैराडा तहसील सिकराय जिला दौसा का प्राधिकार पत्र दिनांक 14.7.2020 के द्वारा निलंबित किया गया। जिला रसद धिकारी दौसा ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर अपीलांट ने कारण बताओ नोटिस का बिन्दुवार जवाब भी नियत दिनांक को जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। अपीलांट द्वारा जवाब दिये जाने के उपरांत जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zamah Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:50 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...5 पर

प्राधिकार पत्र दिनांक 18.1.2021 को प्राधिकार पत्र की जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि रू0 1000/—जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। पत्रावली में अपीलांट के विरूद्ध राशन सामग्री की कालाबाजारी एवं गबन किये जाने की कोई लिखित शिकायत नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध मौखिक शिकायत प्रवर्तन निरीक्षक को की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा मात्र कथनों के आधार पर अपीलांट पर फर्जी ट्रांजेक्शन का आरोप लगाया गया है। खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑन लाइन वितरण बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये है। उसके बाद खाद्य विभाग द्वारा संशोधित आदेश पारित किये गये हैं, जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायो मैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ0टी0पी0 आने पर उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। किसी कारण से अगर पोश मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान न हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति जिसका नाम भामाशाह से जुडा हुआ हो, अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार की राशन सामग्री ले सकता है। उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओ0टी0पी0 आने पर राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। उपभोक्ता द्वारा राशन डीलर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आये ओ0टी0पी0 को बिना बताये राशन सामग्री का ट्रांजेक्शन होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान दस्तावेज सूची के साथ संलग्न विवरण से ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता कार्डो (उपभोक्ता रघुवीर सिंह राजपूत, राधामोहन शर्मा, रामावतार शर्मा, कैलाश चंद शर्मा व राजकुमार सिंह राजपूत) को नियमित रूप से राशन सामग्री का वितरण किया जाकर राशन कार्ड में इन्द्राज हो रहा है। 4678 किलोग्राम गेहूँ ऑनलाईन रिसीव नहीं किया जाना अपीलांट ने सहवन से होना स्वीकार किया है। भविष्य में पूर्व सावधानी के साथ राशन सामग्री को ऑनलाईन रिसीव करने की चेतावनी देते हुए हम जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2021 में से प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने का आदेश यथावत रखा जाकर शेष आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलांट को प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि रू0 1000/— पुनः जमा कराने की शर्त पर व भविष्य में राशन सामग्री के समय पर ऑनलाईन रिसीव किये जाने की चेतावनी देकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally Signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:51:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा